न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा **RAS**)

प्रकरण संख्या :— 39/2025 जी.सी.एम.एस. संख्या :— 2025/133

1. ओमप्रकाश पुत्र सूरजन
2. कन्हैयालाल पुत्र रामनाथ
3. कालूराम पुत्र आस्था
4. गणेश पुत्र रामनाथ
5. दीपक पुत्र किशनलाल
6. धापा देवी पत्नी रामनाथ
7. भूली देवी पुत्री स्व0 रामनाथ
8. भोमाराम पुत्र स्व0 रामनाथ
9. मेहनलाल पुत्र सूरजन
10. शंकर पुत्र स्व0 रामनाथ
11. श्रवणलाल पुत्र सूरजन
12. श्रीराम पुत्र सूरजन
13. शांति पत्नी स्व0 किशनलाल
14. सुशिला पुत्री किशनलाल

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम झाझवाड़ तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रार्थीगणः—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील तूंगा जिला जयपुर।
2. अमरसिंह पुत्र राधाकिशन
3. कमलेश पुत्र रोशन
4. कल्याणी पुत्री रामनिवास
5. निर्मला पुत्री राधाकिशन
6. मुकेश कुमार पुत्र रामकिशन
7. माधो पुत्र रामकिशन
8. रामकरण पुत्र रामनिवास
9. रामादेवी पुत्री राधाकिशन
10. शंकरसिंह पुत्र सीताराम
11. हंसराज पुत्र रोशन

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम झाझवाड तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:अप्रार्थीगणः—

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः—श्री राजेश कुमार शर्मा, एड0—प्रार्थीगण।

—:निर्णयः— *दिनांक 29/09/2025*

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7966 है0, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 230/2 रकबा 0.3794 है0, खसरा नम्बर 230/3 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 230/4 रकबा 0.1897 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4921 है0 वाके ग्राम झाझवाड पटवार हल्का मिठावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 05.07.2023 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7966 है0, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 230/2 रकबा 0.3794 है0, खसरा नम्बर 230/3 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 230/4 रकबा 0.1897 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4921 है0 वाके ग्राम झाझवाड पटवार हल्का मिठावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर की दिनांक 05.07.2023 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बस्सी पत्रांक भू.अ./2025/3355 दिनांक 09.06.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई, जो शामिल मिशल है।

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 05.07.2023 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7966 है0, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 230/2 रकबा 0.3794 है0, खसरा नम्बर 230/3 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 230/4 रकबा 0.1897 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4921 है0 वाके ग्राम झाझवाड पटवार हल्का मिठावास तहसील बस्सी जिला जयपुर की नकल पेंश की।

4. बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7966 है0, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 230/2 रकबा 0.3794 है0, खसरा नम्बर 230/3 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 230/4 रकबा 0.1897 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4921 है0 वाके ग्राम झाझवाड पटवार हल्का मिठावास तहसील बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 05.07.2023 व तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा दिनांक 09.06.2025 पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बस्सी के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 05.07.2023 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 9 खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7966 है0, खसरा नम्बर 230/1 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 230/2 रकबा 0.3794 है0, खसरा नम्बर 230/3 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 230/4 रकबा 0.1897 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4921 है0 वाके ग्राम झाझवाड पटवार हल्का मिठावास तहसील बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

बस्सी को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थीगण के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 05.07.2023 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौंके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(डॉ. गरिमा शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधि...